सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 05/2019
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
	––प्रार्थी			––विपक्षी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः:लेन निर्माण/चौडाकरण हेतु अवार्ड अन्तर्गत धारा 3G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2019	**:: आदेश ::** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 31/01/2018** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 24/02/2018** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 14/08/2018** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 15/09/2018** को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी हैं। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पंत्राकः 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा **3D** में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना हैं। परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा **3D** के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सरकार के खाते मे अंकित **ग्राम बैंरा की आराजी नं0 1964 में से 0.0132 हेक्टयर** भू–भाग अवाप्त किया गया हैं। **तहसीलदार बनेड़ा** से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बैंरा की आराजी नं0 1964, किस्म गे.मु.रास्ता, रकबा 3.18 में से 0.0132 हेक्टयर जो कि राजस्थान सरकार (बिलानाम सरकार) के नाम दर्ज रिकार्ड होकर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन हैं। अवाप्ताधीन भूमि की **DLC** दर उप पंजीयक **बनेड़ा** से प्राप्त की गयीं। अतः **तहसीलदार बनेड़ा** से प्राप्त मौका सत्यापन रिपार्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर **ग्राम बैंरा की आराजी नं0 1964 में से 0.0132 हेक्टयर अर्थात 132 वर्ग मीटर** अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 G (1) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं –	

न मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

क्र0सं0	विवरण	विवरण / प्रतिकर राशि
1	आराजी नं0 (ग्राम बैंरा)	1964
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0132 हैक्टयर अर्थात 132 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	गे.मु.रास्ता
4	हितबद्व खातेदार	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा
5	दिनांक 31.01.2018 को **DLC** दर (प्रति बीघा)	17,79,200— रूपये
6	दिनांक 31.01.2018 को **DLC** दर (प्रति वर्गमीटर)	703.44— रूपये
7	**PWD** के अनुसार ग्राम **बैंरा** की शहरी सीमा से स्थित दूरी	18.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	92,854— रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 10—20 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा की दर से राशि	1,39,281— रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	**Nil**
11	योग **(9+10)**	1,39,281— रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 11 अंकित राशि का	1,39,281— रूपये
13	दिनांक **24.02.2018 से 16.04.2019** तक कुल 416 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	12,699— रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+12+13)**	2,91,261— रूपये
15	कुल मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	**Nil**
16	हितबद्व खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	2,91,261— रूपये
	अक्षरे — दो लाख इकरानवे हजार दौ सौ इकसठ रूपये मात्र	

अवाप्त भूमि का अवार्ड़ जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवार्ड़ अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। अवार्ड़ की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष मे राजस्व अधिकार अभिलेख मे अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा